



एम0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय

एम0 पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड

1114/1ए यादव कॉलोनी जबलपुर

दूरभाष क्रमांक 0761-2417343

निविदा-प्रपत्र

किराये पर वाहन लेने हेतु

वर्ष 2024-25 एवं आगे की अवधि के लिये



एम0पी0स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
1114/1ए यादव कॉलोनी जबलपुर

किराये पर वाहन स्वीफ्ट डिजायर / टाटा इंडिगो / जेस्ट एवं समकक्ष अन्य वाहन लेने हेतु आन लाईन निविदा आमंत्रण

ऑनलाइन निविदा प्रपत्र का मूल्य ऋ सहित	राशि रु 500.00
आन लाईन निविदा पत्र का कय	www.mptenders.gov.in पर आवश्यक प्रोसेसिंग फीस का भुगतान कर दिनांक 07.08.2024 को अपरान्ह 1.55 बजे तक
संकल्प धन राशि ,ऋद्ध	10000/- (दस हजार रुपये मात्र)
ऑनलाइन निविदा वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय सीमा	दिनांक 07.08.2024 अपरान्ह 2.00 बजे तक
ऑनलाइन तकनीकी निविदा के खोले जाने दिनांक की निर्धारित तिथि एवं समय (ऑनलाइन अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की स्थिति में ऑफर को मान्य नहीं किया जाएगा) तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी परिशिष्ट 5 में दर्शित है।	दिनांक 07.08.2024 अपरान्ह 3.00 बजे तक
उपयुक्त पाये गये आफर के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाना	सूचना निगम की वेबसाईट www.mpagro.org एवं www.mptenders.gov.in पर दी जाएगी।

क्षेत्रीय प्रबंधक



एम0पी0स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
1114/1ए यादव कॉलोनी जबलपुर

क/आरएम/जबल/24-25/ 106

दिनांक -18/07/2024

किराये पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

कार्यालयीन कार्य हेतु किराये पर वाहन लेने बावत् निर्धारित प्रारूप में संकल्प धनराशि रु. 10000.00 के साथ आनलाईन दरें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा पत्र में निर्दिष्ट अहर्ताएं पूर्ण करने वाले वाहन से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत दर प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 07.08.2024 को अपरान्ह 2.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाईट <http://mpagro.org> पर उपलब्ध है, दस्तावेज www.mptenders.gov.in से ही डाउनलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाईट पर अपलोड किए जाना हैं। रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर अपलोड की जाएगी।

क्षेत्रीय प्रबंधक



क्षेत्रीय कार्यालय

एम0 पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
1114/1ए यादव कॉलोनी जबलपुर

दूरभाष क्रमांक 0761-2417343

परिशिष्ट 1

किराये पर वाहन वाहन लेने हेतु निविदा आमंत्रण

अ निविदा प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया

1. निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in वेबसाईट से डाउनलोड किया जाना आवश्यक है। निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदा के प्रत्येक पृष्ठ एवं इसमें वर्णित शर्तों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करें। प्रपत्र में दिये गये निर्देशानुसार ही ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करें। निगम द्वारा ऑनलाइन प्राप्त ऑफर को ही मान्य किया जावेगा। साथ निविदा प्रपत्रों के सभी अनिवार्य दस्तावेजों, जो आरसीओ प्रपत्र में कहीं भी उल्लेखित हैं, को अनिवार्य रूप से स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
2. निविदा प्रपत्र में वर्णित प्रपत्रों को 600 डी.पी.आई के रिजोल्यूशन में जे.पी.ई जी अथवा पी.डी.एफ फॉर्मेट में अपलोड करें। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो ऐसे ऑफरकर्ता के प्रस्ताव को मान्य नहीं किया जाएगा।
3. वेबसाईट से अपलोड किये गये आर.सी.ओ प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्कैन कापी को निर्देशानुसार आवेदक को अनुबंध के समय हार्ड कापी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियाँ कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेटवर्क आदि की समस्याओं के कारण निविदा प्रस्तुत करने से वंचित न हों।
5. निविदा दस्तावेज प्रपत्र शुल्क एवं संकल्प धनराशि ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. निविदा के वित्तीय प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन दर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय तक रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।
7. एक निविदाकार से एक ही ऑफर स्वीकार किया जावेगा। यदि यह सज्ञान में आता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही या अन्य नामों से एक से अधिक ऑफर प्रस्तुत किये गये हैं तो उस व्यक्ति से संबंधित ऐसे समस्त ऑफर निरस्त मान्य किये जावेगे।
8. सशर्त रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर अस्वीकार किये जाएंगे।
9. निविदा की वैधता : प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 90 दिवस तक मान्य रहेंगे। अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि ऑफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो।
10. निविदा का खोला जाना
 1. नियत तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन ऑफर के तकनीकी प्रस्ताव निगम उपर्युक्त वर्णित (परिशिष्ट क्रं. 1) तिथि एवं समय पर खोले जावेंगे।

2. आफर के खोले जाने की तिथि में परिवर्तन होने की दशा में निगम द्वारा इसकी सूचना का प्रकाशन निगम की वेबसाइट पर किया जावेगा।
3. परीक्षणोपरांत योग्य पाये गये आफर्स के वित्तीय प्रस्तावों को खोलने की दिनांक निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
4. ऑफरकर्ताओं के अथवा उनके प्रतिनिधि आफर खोले जाते समय नियत स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं।
5. रेट कान्ट्रैक्ट आफर सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाइट पर दी जाएगी।

ब निविदा हेतु समान्य शर्तें

1. किराये पर लिया जाने वाला वाहन जनवरी 2023 या उसके पश्चात का मॉडल होना चाहिये। वाहन का रजिस्ट्रेशन टैक्सी, कोटा में होना अनिवार्य है।
2. वाहन का मूल्य 6.50 लाख (Ex Show Room Price) से सीमा में होना चाहिए। यदि निविदाकार इससे अधिक मूल्य के वाहन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उसे इसी सीमा में आ रहें अन्य वाहनों के अनुसार ही मान्य कर दरों की तुलना की जावेगी।
3. चूंकि वाहन क्षेत्रीय कार्यालय के उपयोग के लिये किया जाना है, वाहन का उपयोग जबलपुर एवं जबलपुर संभाग में शासकीय दोरे के लिये भी किया जावेगा, निगम की आवश्यकता होने पर निगम के प्रबंध संचालक के निर्देश होने पर प्रदेश में किसी भी स्थान पर जाने के लिये वाहन का उपयोग किया जा सकता है।
4. वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार कच्चे/पक्के रास्ते पर भी किया जावेगा।
5. किराये पर लिये जाने वाले वाहन मालिक/निविदाकर्ता को संकल्प धन राशि रु0 10000.00 आनलाईन, जमा कराना होगा। संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
 1. निगम द्वारा निविदाकार की निविदा को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
 2. निविदा के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
 3. निविदाकार द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे।
 4. निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार
6. धरोहर राशि :
 - (अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।
 - (ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि समाप्त होने के बाद कोई विवाद न होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
 - (स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
 - (1) निविदा पत्र के अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में।
 - (2) निविदा पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में

(3) अनुबंधकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

7. निविदाकार द्वारा अनुबंध किये जाने की दिनांक के पश्चात दो दिवस में निविदा की निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक है होगा । यदि निविदाकार अनुबंध करने के उपरांत नियत समय सीमा में एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निगम के पक्ष में जप्त की जावेगी ।
8. वाहन का माईलो मीटर हमेशा चालू हालत में होना चाहिये तथा वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है । वाहन की स्टेपनी तथा चारों पहिये के टायर ट्यूब अच्छे हो ।
9. वाहन में डीजल/ऑयल प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी व वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, बैटरी एवं टायर-ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी ।
10. मासिक किराये का वाहन 24 घण्टे निगम की सेवा में रहेगा । वाहन की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी ।
11. वाहन किराये पर लेने के पश्चात वाहन के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या मौत के लिये निगम जिम्मेदार नहीं रहेगा ।
12. वाहन का अन्य किसी प्रकार का व्यय टूट फूट, मरंमत व्यय, पंचर, टोल टैक्स एवं पार्किंग आदि का व्यय वाहन मालिक को देना होगा ।
13. वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, रोड टैक्स एवं शासकीय कर संबंधी दस्तावेज की छाया प्रतियाँ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी तथा मूल कागजात निगम कार्यालय से सत्यापित करवाने होंगे व मूल दस्तावेज हर समय वाहन में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा ।
14. जिस दिन वाहन खराब होने के कारण चलन में नहीं होगा, उस दिन का किराया देय नहीं होगा । वाहन की खराबी की स्थिति में वाहन मालिक को अन्य वाहन तत्काल उपलब्ध कराना होगा । वाहन उपलब्ध न होने की दशा में निगम यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अंतर की राशि वाहन मालिक से वसूली जावेगी ।
15. वाहन संबंधित कार्यालय के नियंत्रण में तथा उनके कार्यों की आवश्यकतानुसार अधीन रहेगा एवं वाहन के संपूर्ण आवागमन का सत्यापन आदि भी संबंधित कार्यालय द्वारा किया जावेगा ।
16. वाहन किराये का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात अनुबंध के अनुसार निर्धारित दरों पर वाहन मालिक के बिल के सत्यापन के पश्चात् आवश्यक टैक्स कम करते हुये भुगतान चेक के माध्यम से, माह की 15 तारीख तक किया जावेगा । निगम द्वारा कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी ।
17. दर्शायी गयी प्रतिमाह न्यूनतम किलोमीटर व अतिरिक्त किलो मीटर की दर के अलावा कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी ।
18. वाहन के निर्धारित मुख्यालय के बाहर रहने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा ।
19. वाहन द्वारा प्रवास के दौरान वाहन में यात्रा संबंधी कोई असुविधा होने पर मालिक अपनी व्यवस्था से स्थान तक स्वयं के व्यय से पहुंचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी रहेगा, जिसके लिये कोई दावा मान्य नहीं होगा ।
20. अनुबंध अवधि में वाहन के किराये में कोई परिवर्तन नहीं होगा और अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी ।
21. प्रतिमाह औसतन 1500 कि.मी. दूरी निर्धारित होगी, इससे अधिक दौरा होने पर प्रति तीन माह की अवधि में अधिक चले वाहन का प्रति कि.मी. अतिरिक्त किराया देय होगा । अर्थात् यदि प्रथम माह 1400 कि.मी. द्वितीय माह 1600 कि.मी. एवं तृतीय माह 1500 कि.मी. वाहन चलता है तो तीन माह का योग 4500 कि.मी. आयेगा व कोई अतिरिक्त कि.मी. नहीं माना जायेगा । न्यूनतम कि.मी. से अधिक वाहन चालन की स्थिति में यदि तीनों माह निर्धारित 1500 कि.मी. की सीमा से वाहन कम चलेगा, तो पूर्ण भुगतान किया जायेगा ।

22. वाहन पर वैद्य लायसेन्सधारी ड्रायवर को ही रखना होगा । ड्रायवर को समय का पाबंद होना तथा मदिरा अथवा अन्य व्यसन रहित एवं अच्छे व्यवहार, चाल-चलन वाला होना अनिवार्य है ।
23. प्रवास के दौरान ड्रायवर को निगम द्वारा कोई भत्ता नहीं दिया जावेगा ।
24. सभी प्रकार के टैक्स, मोटर यान कर, बीमा आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा । आरटीओ रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
25. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर संपूर्ण जवाबदारी वाहन मालिक की होगी । यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका संपूर्ण व्यय वाहन मालिक वहन करेगा ।
26. निष्पादित अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिये मान्य होगा, परन्तु वाहन की कार्य उपयुक्तता एवं चालक के कार्य संपादन की गुणवत्ता को देखते हुये स्वीकृत दर पर अनुबंध की अवधि एक और वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी परन्तु किसी दशा में अनुबंध की अवधि स्वीकृत दर से अधिक दर पर नहीं बढ़ाई जायेगी ।
27. विशेष परिस्थिती में कार्यालीन आवश्यकता होने पर प्रबंध संचालक की अनुमति से इस निविदा में स्वीकृत/ अनुबंधित दर पर अनुबंधित निविदाकार से अल्प कालिक समय अथवा पूरे वर्ष के लिये जैसी भी आवश्यकता हो उक्त के अतिरिक्त अन्य वाहन निविदाकार से उसकी सहमति के आधार पर कार्यालय में कार्य पर लिये जा सकते हैं ।
28. निविदाकर्ता द्वारा जीएसटी नंबर देयक में दर्शाना अनिवार्य हैं । जीएसटी का भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा । जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे । निविदाकर्ता को निगम का जीएसटी नंबर देयक पर दर्शाना आवश्यक होगा ।
29. देयक से नियमानुसार समय-समय पर प्रचलित आयकर ;टीडीएस की कटौती की जायेगी । इस हेतु वाहन मालिक को फर्म/व्यक्ति के प्रकरण में "पेन" देना होगा जिसका उल्लेख निविदा/देयकों पर होना अनिवार्य है । इसी आधार पर संबंधित को टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा ।
30. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में करना होगा । प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
31. अनुबंध के किसी बिंदु पर कोई वाद होने की स्थिति में आपसी चर्चा एवं विचार विमर्श से विवादों का हल किया जायेगा । अगर 15 दिवसों के अंदर कोई हल नहीं निकलता है तो, उक्त विवाद पर अंतिम निर्णय हेतु इस निगम के प्रबंध संचालक जो एक मात्र आर्बिटर होंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होकर दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
32. विवाद की स्थिति में केवल भोपाल जिले के लिये मान्य न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
33. निविदा प्रस्तुत करने का यह अर्थ होगा कि निविदाकार द्वारा सभी शर्तों को पढ़कर एवं उससे सहमत होकर निविदा प्रस्तुत की है ।
34. अधिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में निगम को अधिकार होगा कि दर कम करने हेतु निविदाकर्ताओं को निगोसिएशन हेतु आतंत्रित किया जाये । यह अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।

यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई सभी शर्तें ध्यान पूर्वक पढ़ ली गई तथा सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं ।

दिनांक:-----

हस्ताक्षर निविदाकार

किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन व फर्म का विवरण व घोषणा पत्र

1. आवेदक फर्म/ व्यक्ति का नाम एवं पता
2. वाहन का प्रकार..... मेक माडल..... निर्माण वर्ष
3. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक.....
4. बीमा, पालीसी नं वैधता दिनांक
- वाहन मालिक का नाम एवं पता.....
कार्यालय..... निवास.....
टेलीफोन / मोबाईल नंबर.....
5. पेन नम्बर ;स्व-प्रमाणित प्रति
6. जीएसटी नम्बर ;स्व-प्रमाणित प्रति
7. वाहन स्वयं का है या साझेदारी में है

घोषणा पत्र

मैं.....(निविदाकार का नाम), पुत्रआयु.....
.....निवासी.....

यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है, उस कार्य से संबंधित मुख्य एवं अन्य सभी सामान्य शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई हैं तथा सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं ।

दिनांक.....

वाहन मालिक/निविदाकार के
हस्ताक्षर व सील

नाम

पता.....

नोट: यदि निविदाकार निविदा स्वीकृति की दशा में नया वाहन क्रय कर कार्य पर लगाये जाने का इच्छुक है तो उसे उपरोक्त वाहन का विवरण न देते हुये इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा की वह निविदा स्वीकृति की दशा में तत्काल नवीन वाहन क्रय कर लगायेगा तथा संबंधित सभी विवरण अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेगा।



क्षेत्रीय कार्यालय

एम0 पी0 स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
1114/1ए यादव कॉलोनी जबलपुर

दूरभाष क्रमांक 0761-2417343

दर प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप प्रपत्र

Sl. No.	Item Description	Unit	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. Per Kg	GST AMT.	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. Per Kg	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	5	6	7	8	9	10
1.01	मासिक न्यूनतम 1500 कि.मी. किराये की दर वाहन चालक, डीजल, आईल, टूट फूट, मरम्मत, पंचर, टोल टैक्स एवं पार्किंग आदि समस्त व्यय सहित	Per Month					
1.02	1500 कि.मी. से अधिक रनिंग के लिये दर बिन्दु क्र. 21 में उल्लेखित शर्तों अनुसार	Per Km					

यह प्रारूप केवल निविदाकार की सुविधा के लिये है। वास्तविक रूप से दरें आनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध फार्मेट में दी जाना है।

// अनुबंध //

यह अनुबंध आज दिनांक को क्षेत्रीय प्रबंधक, एम.पी.स्टेट एग्री इण्ड.डेव्ह.कारपो. लिमि. जबलपुर जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं प्रोपराईटर श्री जिनका वाहन निगम द्वारा किराये पर लिया गया है तथा जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर हैं, जिन्हे आगे वाहन मालिक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नं. किराये पर लेने हेतु दिनांक को निविदा आमंत्रित की गई थी । तथा निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र कय करते हुये सभी शर्तों को मान्य करते हुये निविदा में भाग लिया गया है तथा निविदा की शर्तें अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्र० दिनांक से निविदाकर्ता के ऑफर को मान्य करते हुये अनुबंध करने बावत् कार्यवाही की गई तथा निविदाकर्ता द्वारा शर्तों के अनुसार स्वीकृत दर पर निगम को वाहन उपलब्ध कराने हेतु सहमत हैं । निविदाकर्ता की स्वीकृत की गई दर निम्नानुसार है:-

क्र	विवरण	दर		
		बेसिक दर	जीएसटी	योग
1	1500 कि.मी. रनिंग हेतु दी गई दर जीएसटी सहित, वाहन चालक, डीजल आईल, सर्विस टैक्स, टूटफूट, मरम्मत, पंचर, टोल टैक्स एवं पार्किंग आदि सहित			
2	1500 कि.मी. से अधिक के लिये दर प्रति कि.मी. जीएसटी सहित ; बिन्दू क्र.21 दर्शाये अनुसार अतिरिक्त कि.मी. का भुगतान किया जायेगा			

यह अनुबंध दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा जिसे निविदा की शर्त क्रमांक 26 अनुसार बढ़ाया जा सकेगा । उक्त अनुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया गया ।

क्षेत्रीय प्रबंधक
हस्ताक्षर सील सहित
गवाह:-
1-
2-

वाहन मालिक/निविदाकार
हस्ताक्षर सील सहित
गवाह:-
1-
2-

अ तकनीकी निविदा में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड की प्रति अपलोड किया जाना है'
2. वाहन के बीमा की प्रति अपलोड किया जाना है'
3. निविदाकार के PAN एवं GST नंबर की स्वप्रमाणित प्रति।
4. परिशिष्ट 2 में जानकारी भर कर घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर अपलोड किया जाना है
5. निविदा पत्र परिशिष्ट क्रं 1 के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर अपलोड किये जाने है।

' नोट: यदि निविदाकार निविदा स्वीकृति की दशा में नया वाहन क्रय कर कार्य पर लगाये जाने का इच्छुक है तो उसे उपरोक्त वाहन का विवरण न देते हुये इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा की वह निविदा स्वीकृति की दशा में तत्काल नवीन वाहन क्रय कर लगायेगा तथा संबंधित सभी विवरण अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेगा।

ब वित्तीय निविदा

परिशिष्ट 3 में वित्तीय प्रारूप केवल निविदाकार की सुविधा के लिये है। वास्तविक रूप से दरें आनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध फार्मेट में दी जाना है।